

क्रमांक :- 1688

दिनांक :- 21/11/2025

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मैं कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1520 दिनांक 30.10.2025 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा के पीठासीन अधिकारी चिकित्सकीय अवकाश पर होने के कारण संशोधन कर दिनांक 23.11.2025 के राजकीय अवकाश के लिए टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपल, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, ठोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई नीचे दी गयी सारणी में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड इयूटी करने के लिए अधिकृत करता हूँ। माह नवंबर 2025 के लिए पूर्व में जारी आदेश शेष यथावत् प्रभावी रहेगा।

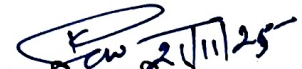
सारणी संख्या :- 1 रिमाण्ड इयूटी

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	23.11.2025

उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड इयूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क्र. को भी रिमाण्ड इयूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य आगामी दिवस को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में उक्त न्यायिक अधिकारी ही न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य संपादित करेगा, जब तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।

नोट :- कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारी कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक :- 1689-1697

दिनांक :- 21/11/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा/उनियारा
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
4. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
5. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक।
6. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
7. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
8. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)